न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2024/550

1. फजरू पुत्र नजरू, जाति मेव, निवासी सहजपुर नंगली, तहसील रामगढ, जिला अलवर।

– अपीलान्ट

बनाम

1. समीना पुत्री नजरू पत्नि असरफ खां, जाति मेव, निवासी ग्राम सहजपुर नंगली, तहसील रामगढ, जिला अलवर हाल निवासी ग्राम जोनाखेडा पहाड, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर।

– असल रेस्पोडेन्ट

2. ग्राम पंचायत नंगली मेघा, जरिये सरपंच नंगली मेघा पंचायत समिति रामगढ, जिला अलवर।

– तरतीबी रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार रामगढ, जिला अलवर दिनांक 11.12.2020 जिसके द्वारा इन्तकाल संख्या 340 दिनांक 30.08.1988 को निरस्त करते हुए अपीलान्ट व असल–रेस्पोडेन्ट के नाम आराजी खसरा नं0 1150 रकबा 1.32 हैक्टेयर, 1151 रकबा 1.31 हैक्टेयर, 716 रकबा 0.05 हैक्टेयर का नामान्तकरण 1/2–1/2 हिस्से अनुसार दर्ज करने के आदेश पारित किये गये।

उपस्थित :–

1. श्री विजय सिंह राठौड, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. श्री अशोक कुमार, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय

दिनांक –14.02.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत तहसीलदार रामगढ, जिला अलवरके निर्णय दिनांक 11.12.2020 के खिलाफ प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 01.09.2021 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 समीना पुत्री नजरू ने ग्राम सहजपुर के नामान्तरकरण संख्या 340 दिनांक 30.08.1988 ग्राम पंचायत नंगली मेघा के निर्णय से व्यथित होकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर के यहॉ अपील पेश की गई। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर ने निर्णय दिनांक 19.11.2019 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 समीना पुत्री नजरू की अपील स्वीकार कर ग्राम सहजपुर के नामान्तकरण संख्या 340 निर्णय दिनांक 30.08.1988 ग्राम पंचायत नंगली मेघा तहसील रामगढ़ को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार रामगढ़, जिला अलवर को इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया गया कि समस्त वारिसान की जांच कर पक्षकारों को सुनकर नामान्तकरण के सम्बन्ध में नये सिरे से नियमानुसार कार्यवाही करें। जिस पर न्यायालय तहसीलदार रामगढ़, जिला अलवर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.12.2020 द्वारा नामान्तकरण संख्या 340 दिनांक 30.08.1988 को निरस्त करते हुये नामान्तकरण संख्या 340 में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 1150 रकबा 1.32 हैक्टे0, 1151 रकबा 1.31 हैक्ट0, 716 रकबा 0.05 हैक्टे0 का नामान्तकरण नये सिरे से नजरू पुत्र छोटा के वारिसान के नाम 1/2–1/2 हिस्से अनुसार दर्ज करने के आदेश पारित किये गये।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. तहसीलदार रामगढ़, जिला अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 11.12.2020 से व्यथित होकर अपीलान्ट फजरू पुत्र नजरू द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के

साथप्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करने एवं न्यायालय तहसीलदार रामगढ, जिला अलवर के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.12.2020 को निरस्त फरमाया जाकर इन्तकाल संख्या 340 दिनांक 30.08.1988 ग्राम पंचायत नंगली मेघा बदस्तूर बहाल रखे जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्तओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि हाल आराजी खसरा नं0 1150 रकबा 1.32 हैक्टेयर, 1151 रकबा 1.31 है0, 716 रकबा 0.05 है० के गत नं0 618 रकबा 10 बीघा 8 बिस्वा व 378 रकबा 0.04 है० थे। गत खसरा नं0 618 मिन अपीलान्ट ने दिनांक 06.10.1995 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा सुरजा बेवा रामकिशोर से 85,800/– रूपये में 1/4 हिस्सा खरीद किया था। जिस बयनामें के आधार पर इन्तकाल संख्या 512 दिनांक 16.07.96 मिन अपीलान्ट के हक में दर्ज व तस्दीक किया गया। जिस पर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में मिन अपीलान्ट के नाम का अमल दरामद भी किया जा चुका है। लेकिन विद्वान तहत् न्यायालय ने अपने निर्णय में सम्पूर्ण आराजी में रेस्पोडेन्ट को 1/2 हिस्सा दर्ज करने के आदेश दिये है, जो कानून सम्मनत न होने से व राजस्व रिकार्ड के खिलाफ होने से निरस्त किये जाने योग्य है। मिन अपीलान्ट की खरीदशुदा आराजी में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का किसी प्रकार से व किसी कानून के आधार पर कोई हक व अधिकार नहीं बनता है। लेकिन फिर भी तहत न्यायालय ने इस अहम् कानूनी बिन्दु की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है।

असल–रेस्पोडेन्ट को इन्तकाल संख्या 340 दिनांक 30.08.1988 की पूर्ण जानकारी इन्तकाल मिन अपीलान्ट के नाम दर्ज व तस्दीक करने की दिनांक से थी। लेकिन रेस्पोडेन्ट के मन में बेईमानी व बदनीयती आ जाने के कारण उसने 29 साल बाद उक्त इन्तकाल को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ के यहॉ चैलेन्ज किया। जिसकी मिन अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी और ना ही मिन अपीलान्ट के नाम कोई नोटिस आदि जारी किये गये। समस्त कार्यवाही असल–रेस्पोडेन्ट ने एकतरफा में करवाई, जो उसकी बदनीयती पर आधारित थी। तहसीलदार रामगढ ने निर्णय करने से पूर्व किसी प्रकार की कोई जांच आदि नहीं की और ना ही मुस्लिम विधि को समझने की कोशिश की। मुस्लिम विधि में कहीं पर भी पुत्रियों को 1/2 हिस्सा नहीं दिया गया है। लेकिन विद्वान तहत् न्यायालय ने बिना जांच किये व बिना मुस्लिम विधि का अध्ययन किये बिना अपीलाधीन आदेश हिन्दू विधि के मुताबिक पारित किया है जबकि हिन्दू विधि मेव जाति पर लागू नहीं होती है और यह मुस्लिम विधि के द्वारा ही अपने हक व अधिकार तय करा सकते है। जैसा कि मुस्लिम विधि में दिया गया है। इसलिए भी तहत् न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। आराजी मुतनाजा पर कभी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कब्जा काश्त नहीं रहा और ना आज मौके पर है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 गैर काबिज गैर वास्ता शख्स है। जिसका आराजी मुतनाजा से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध, वास्ता, सरोकार नहीं है। रेस्पोडेन्ट ने तहत् न्यायालय में समस्त कहानी फर्जी बनावटी व मनगढन्त दर्ज की है। जिस पर तहत् न्यायालय ने विश्वास करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है।

इन्तकाल संख्या 340 दिनांक 30.08.1988 ग्राम पंचायत नंगली मेघा के समक्ष प्रस्तुत हुआ। जिसमें सभी वार्ड पंचों ने यह तस्दीक किया कि नजरू के एक मात्र पुत्र फजरू है। जिसके नाम इन्तकाल विरासत तस्दीक किया जाता है। वक्त तस्दीक ग्राम पंचायत नंगली मेघा का कोरम पूरा था। इसके बावजूद भी तहत् न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश गलत तरीके पर पारित किया गया है। मिन अपीलान्ट की खरीदशुदा आराजी पर किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा असल रेस्पोडेन्ट का नहीं बनता है

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

और नजरू की पुत्री साबित करने पर भी उसका विवादित जायदाद में 1/3 हिस्सा ही कानूनन बनता है। लेकिन तहत् न्यायालय ने एकतरफा में निर्णय पारित करते हुए असल रेस्पोडेन्ट को 1/2 हिस्सा दर्ज करने के आदेश गलत व कानून के विरूद्ध पारित किये है। तहत् न्यायालय में असल रेस्पोडेन्ट द्वारा ऐसा कोई प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया। जिससे यह साबित होता हो कि रेस्पोडेन्ट नजरू की पुत्री है और उसका नजरू की सम्पति में कोई हक व हिस्सा है और ना ही इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई जानकारी तहत् न्यायालय द्वारा की गई। ऐसी स्थिति में तहत् न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

तहत् न्यायालय के निर्णय की जानकारी मिन अपीलान्ट को दिनांक 02.08.2021 को ज़रिये पटवारी द्वारा दी गई। जिस पर मिन अपीलान्ट ने तहसीलदार रामगढ़ के कार्यालय में जाकर जानकारी की तो पता चला कि मिन अपीलान्ट के कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी का निर्णय दिनांक 11.12.2020 को हो गया है। जिस पर मिन अपीलान्ट ने दिनांक 03.08.2021 को नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया, जो नकल दिनांक 05.08.2021 को प्राप्त हुई। उस नकल को लेकर मिन अपीलान्ट ने वकील साहिबान से सलाह मशवरा किया तो उन्होंने अपील करने की सलाह दी। चूंकि मिन अपीलान्ट एक गरीब व्यक्ति है और पैसे आदि का इन्तजाम करने में काफी समय व्यतीत हो गया। जिस पर मिन अपीलान्ट ने पैसे आदि का इन्तजाम कर अब बिना किसी देरी के यह अपील न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत की जा रही है। अपील जानकारी होने की दिनांक से अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जावे। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आलौच्य निर्णय न्यायालय तहसीलदार रामगढ, जिला अलवर दिनांक 11.12.2020 निरस्त फरमाया जावे व इन्तकाल संख्या 340 दिनांक 30.08.1988 ग्राम पंचायत नंगली मेघा बदस्तूर बहाल रखा जावे।

6. वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1150 रकबा 1.32 हैक्ट० जिसके साबिक खसरा नम्बर 618 मिन रकबा 10 बीघा 8 बिस्वा व ख0न0 1151 रकबा 1.31 हैक्ट० जिसके साबिक खसरा नम्बर 618 मिन सामलात ख0न0 1150 व इसी प्रकार ख0न0 716 रकबा 0.05 हैक्ट० जिसके साबिक नम्बर 378 रकबा 4 बिस्वा ग्राम सहजपुर नंगली, तहसील रामगढ में स्थित है। जो आराजी रेस्पोडेन्ट नं. 1 व अपीलान्ट के पिता नजरू के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी थी। रेस्पोडेन्ट नं. 1 के पिता व माता फौत होने पर नजरू की आराजी पर रेस्पोडेन्ट नं. 1 व अपीलान्ट बराबर–बराबर हिस्से अनुसार काबिज है, इनके अलावा किसी दीगर शख्त का कोई हक व हिस्सा इस आराजी पर नहीं है। रेस्पोडेन्ट नं. 1 का विवाह दीगर गांव में होने के कारण व अपने पिता की आराजी में 1/2 हिस्सा होने पर और रेस्पोडेन्ट नं. 1 व अपीलान्ट सगे भाई–बहन होने के नाते एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास करते चले आ रहे है। इस कारण से रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने अपनी आराज़ी का 1/2 हिस्से को अपीलान्ट फजरू को बटाई पर दिया हुआ था और समय –समय पर अपनी बटाई आकर लेती रहती थी। रेस्पोडेन्ट नं. 1 के पिता का देहान्त होने के बाद उसकी विरासत का इन्तकाल खुलवाया तो अपीलान्ट फजरू ने विश्वास दिलाया और कहा कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 का नाम भी इसमें दर्ज हो गया है चूंकि दोनों एक दूसरे पर विश्वास करते चले आ रहे थे, इस कारण कोई शक शुबा नहीं हुआ और बिना रेस्पोडेन्ट नं. 1 की जानकारी के बतौर बदनियती पूर्वक अपीलान्ट ने नजरू की विरासत का इन्तकाल अकेले अपने नाम दर्ज करा लिया और दिनांक 28.02.2017 को जब समीना, फजरू के पास आकर अपनी बटाई के विषय में बात की तो फजरू ने कहा कि मैं कोई बटाई आदि नहीं दूंगा और तुम्हारा इस आराजी पर कोई हक व हिस्सा नहीं हैं।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

विरासत का इन्तकाल मेरे नाम दर्ज हैं और राजस्व रिकार्ड में मेरे नाम अमल हो रखा हैं, अब मैं तुम्हारा हिस्सा नहीं दूंगा। जिस पर रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने पटवारी हल्का से मिलकर रिकार्ड देखा तो पटवारी हल्का द्वारा बताया कि रिकार्ड तुम्हारे नाम नहीं हैं। ग्राम पंचायत नंगली मेघा ने इन्तकाल विरासत तस्दीक करते वक्त वारिसान की कोई जांच नहीं की और न ही पटवारी हल्का के बयान लिये और बिना रेस्पोडेन्ट नं. 1 को बुलाये बेजा अपीलान्ट के नाम इन्तकाल विरासत चढ़ा दिया, जबकि रेस्पोडेन्ट नं. 1 नजरू की जायज पुत्री है और उसकी वारिस है। रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने नामान्तरकरण संख्या 340 दिनांक 30.08.1988 ग्राम पंचायत नंगली मेघा के निर्णय से व्यथित होकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर के यहॉ अपील पेश की गयी। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर ने निर्णय दिनांक 19.11.2019 से ग्राम सहजपुर के नामान्तकरण संख्या 340 निर्णय दिनांक 30.08.1988 ग्राम पंचायत नंगली मेघा को निरस्त करते हुए तहसीलदार रामगढ, जिला अलवर को प्रकरण रिमाण्ड कर यह निर्देश दिये कि समस्त वारिसान की जांच कर नये सिरे से नामान्तकरण की कार्यवाही करें। न्यायालय तहसीलदार रामगढ, जिला अलवर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.12.2020 द्वारा नामान्तकरण संख्या 340 दिनांक 30.08.1988 को निरस्त करते हुये नामान्तकरण संख्या 340 में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 1150 रकबा 1.32 हैक्टे0 1151 रकबा 1.31 हैक्ट0, 716 रकबा 0.05 हैक्टे0 का नामान्तकरण नये सिरे से नजरू पुत्र छोटा के वारिसान के नाम 1/2–1/2 हिस्से अनुसार दर्ज करने के आदेश पारित किये गये। तहसीलदार रामगढ, जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्यक है। अतः तहसीलदार रामगढ, जिला अलवर के अपीलाधीन आदेश को यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 02.08.2021 को होते ही अपीलान्ट द्वारा दिनांक 03.08.2021 को नकल हेतु आवेदन पेश करना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। प्रकरण में प्रस्तुत न्यायिक निर्णयों एवं समस्त दस्तावेजों का विश्लेषण किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अवलोकन से यह विदित है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 1150 रकबा 1.32 है0, 1151 रकबा 1.31 है0, 716 रकबा 0.05 है0 के गत खसरा नम्बर 618 रकबा 10 बीघा 8 बिस्वा व 378 रकबा 0.04 है0 थे। गत खसरा नम्बर 618 मिन अपीलान्ट ने दिनांक 06.10.1995 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा सुरजा बेवा रामकिशोर से 85,800/– रूपये में 1/4 हिस्सा खरीद किया था। जिस बयनामें का इन्तकाल संख्या 512 दिनांक 16.07.1996 को मिन अपीलान्ट के हक में दर्ज व तस्दीक किया गया तथा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में मिन अपीलान्ट के नाम का अमल दरामद भी किया जा चुका है। लेकिन विद्वान तहत न्यायालय ने अपने निर्णय में सम्पूर्ण आराजी में रेस्पोडेन्ट को 1/2 हिस्सा दर्ज करने के आदेश दिये हैं, जो कानून सम्मत न होने एवं राजस्व रिकार्ड के खिलाफ होने से निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के दौरान यह कथन किया कि रेस्पोडेन्ट एवं अपीलान्ट के पिता की सम्पति पर उनके फौत होने पर दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं, लेकिन फजरू की उक्त क्रयशुदा भूमि अपीलान्ट के नाम दर्ज हो जाने के विषय में अपने पक्ष में कोई कथन नहीं किया। पत्रावली में उपलब्ध नामान्तकरण व दस्तावेजों की प्रति का

अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि नामान्तकरण संख्या 340 दिनांक 30.08.1988 के द्वारा इन्तकाल विरासत नजरू पुत्र फजरू के नाम तस्दीक किया गया। जिसके आधार पर गत खसरा संख्या 618 रकबा 10 बीघा 8 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 1150 एवं 1151 किता 2 रकबा 2.63 हैक्टेयर का 3/4 हिस्सा फजरू के नाम दर्ज किया गया, जबकि नामान्तकरण संख्या 512 दिनांक 16.07.1996 के द्वारा गत खसरा नम्बर 618 का शेष 1/4 हिस्सा जो कि मु. सुरजा बेवा रामकिशोर, मुकेश, महेन्द्र पि0 रामकिशोर तीनों समान भाग 1/16 हिस्सा चतुर्भुज, भजनलाल पि0 चन्दर मु. मनसुखी बेवा चन्दर समान भाग 3/16 हिस्सा सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज था, लेकिन जरिये बैयनामा दिनांक 06.10.1995 राशि 85,800/– रूपये द्वारा फजरू पुत्र नजरू के नाम दर्ज हुआ। उक्त दोनों नामान्तकरणों में एक ही भूमि के 3/4 हिस्से का जरिये विरासत और शेष 1/4 हिस्से का जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा के आधार पर दर्ज हुआ है, जबकि न्यायालय तहसीलदार रामगढ़, जिला अलवर के निर्णय दिनांक 11.12.2020 में उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए हिस्सा दर्ज नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर न्यायालय तहसीलदार रामगढ़, जिला अलवर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.12.2020 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार रामगढ़, जिला अलवर को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

अतः आदेश है कि – अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर न्यायालय तहसीलदार रामगढ़, जिला अलवर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.12.2020 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार रामगढ़, जिला अलवर को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

14/2/25
(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त,
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 14.02.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

14/2/25
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर